न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्द्रकांता बनाम भंवरसिंह वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 385/2025 (अजमेर)

दि.5/8/25

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा   श्री मंगलाराम चौधरी 1/1, 1/4

05.08.2025

चन्द्रकांता बनाम भंवरसिंह वगैरह (2025/385)

यह अपील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, द्वारा प्रकरण संख्या 53/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र स्थगन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/4 की ओर से श्री मंगलाराम चौधरी एडवोकेट ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। अभिभाषक कैवियटकर्ता को अपील मिमों की प्रति दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकपक्षीय सुना जाकर आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 15.09.2025 नियत है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट जो अनुतोष अपील के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है उसका अवसर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 385 /2025 जिला अजमेर

2025/385

चन्द्रकान्ता पुत्री माना उर्फ मानमल जाति रावत, निवासी ग्राम सेंदरिया हाल निवासी बालपुरा आदर्श नगर, अजमेर।

— अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र माना उर्फ मानमल (मृतक) जरिये वारिसान :–
   - 1/1 पार्वती पत्नि भंवरसिंह
   - 1/2 राजनन्दनी पुत्री भंवरसिंह
   - 1/3 तनुजा पुत्री भंवरसिंह
   - 1/4 भवानी पुत्र भंवरसिंह
2. रामस्वरूप पुत्र माना उर्फ मानमल (मृतक) जरिये वारिसान :–
   - 2/1 सुनिता पत्नि रामस्वरूप
   - 2/2 नेहा पुत्री रामस्वरूप
   - 2/3 दीपा पुत्री रामस्वरूप
   - 2/4 अंजू पुत्री रामस्वरूप
3. सुनीता पुत्री माना उर्फ मानमल
4. माया पुत्री माना उर्फ मानमल
5. ललिता पुत्री माना उर्फ मानमल
6. पुष्पा पुत्री माना उर्फ मानमल
7. गुडडी उर्फ सुनीता पुत्री माना उर्फ मानमल

   समस्त जाति रावत, निवासी ~~ग्राम सेंदरिया हाल निवासी~~ बालपुरा आदर्श नगर, अजमेर हाल निवासी सेंदरिया तह व जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

385/2025 5/8/25

5/8/25

9. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव महोदय।

10. श्रीमान उप पंजीयक महोदय अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर दिनांक 16.7.2025 (अपीलांट को पाबन्द करने की हद तक) जो प्रकरण संख्या 53/2025 उनवानी माना उर्फ मानमल (मृतक) जरिये वारिसान वगैरह बनाम चन्द्रकान्ता वगैरह में पारित किया गया।

—————

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:—

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके संलग्न एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजी ग्राम पालरा, पटवार हल्का पालरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारेली, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका वर्णन अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070—2073 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) व वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 तथा चौसाला जमाबन्दीयां व सनफसली 1363—1364 के अनुसार निम्न प्रकार है :—

Scanned with CamScanner